अहकाम नम्बर हुक्म की ता. में जारी हुए

82/17 सरकार वि. ग्रा.पं. एड सिणधरी

20.6.18	पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान में अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत एड सिणधरी में पेश हुई। प्रार्थी पक्ष की ओर पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार (कोर्ट) सिणधरी उपस्थित। विप्रार्थीगण एकतरफा। प्रार्थी पक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस कथन किया कि विवादित भूमि मे दर्शित रकबा का उपयोग आमजन द्वारा आवागमन हेतु उपयोग में लिया जा रहा है। और मौके पर रास्ता चल रहा है। लेकिन रिकार्ड में किस्म गै.मु. ओरण दर्ज हो रखी है। जो प्रस्तावित रकबे को राजस्व रिकार्ड में गै.मु.रास्ता दर्ज किया जावे। **हमनें** उभयपक्ष को सुना। और पत्रावली के सलंग्न राजस्व रिकार्ड,दस्तावेजात का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया। तथा तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि,आवेदन में दर्शित विवादित भूमि का रकबा किस्म गै.मु.ओरण दर्ज है। जिसका मौके पर उक्त प्रस्तावित रकबा का आमजन के आने जाने हेतु रास्ते के रूप में उपयोग में लिया जा रहा है,लेकिन उक्त खसरा संख्या 125 की किस्म गै.मु.ओरण दर्ज है। जो प्रतिबन्धित श्रेणी में है। जिसकी किस्म परिवर्तन नहीं की जा सकती है। लेकिन आमजन को आने जाने हेतु किसी प्रकार की रूकावट ग्राम पंचायत एड सिणधरी द्वारा नहीं की जावेगी। **लिहाजा** प्रार्थी का आवेदन भूमि प्रतिबन्धित श्रेणी में होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फेसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो। उपखण्ड अधिकारी सिणधरी	

Scanned by CamScanner